मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

द्वारा निर्मित

नगर के मुख्य बाजार में स्थित गर्बी स्कूल योजना एवं तहसील व्यावसायिक कॉम्पलेक्स

में दुकानों की

निविदा सह खुली नीलामी

नीलामी तिथि :– दिनांक 26.3.2010 एवं दिनांक 29.3.2010

समय– निविदा डालने का समय प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक
नीलामी का समय दोपहर 12.00 बजे से नीलामी समाप्ति तक

नीलामी स्थल– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
1133 दक्षिणी सिविल लाईन्स,मुजफ्फरनगर

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	धरोहर राशि /टोकन मनी	आरक्षित मूल्य रूपये
1	तहसील परिसर व्यावसायिक योजना भाग–1	06 दुकाने (द्वितीय तल)	12.93 से 20.04	आरक्षित मूल्य का 10%	2,38,000/– से 3,68,000/–
2	तहसील परिसर व्यावसायिक योजना भाग–2	41 दुकाने (द्वितीय तल)	11.02 से 18.06	आरक्षित मूल्य का 10%	2,78,000/– से 4,55,000/–
3	गर्बी स्कूल व्यावसायिक योजना	19 दुकाने (प्रथम तल)	6.86 से 10.97	आरक्षित मूल्य का 10%	1,76,000/– से 2,81,000/–

नियम एवं शर्तें:–

विस्तृत नियम व शर्तों सहित आवेदन पत्र विवरण पुस्तिका में उपलब्ध हैं, जो कि रूपये 300/– के नकद भुगतान कर कार्यालय विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 25.3.2010 तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा के साथ उपरोक्तानुसार धरोहर राशि/टोकन मनी का बैंक ड्राफ्ट/बैकर चैक/पे–आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य है। नीलामी में भाग लेने हेतु नियत समय से पूर्व उक्तानुसार धरोहर राशि/टोकन मनी आवेदन पत्र के साथ जमा कर टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विस्तृत विवरण/नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdamzn.com में भी देखी जा सकती हैं।

सम्पर्क फोन नं0–0131–2621922

उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर

क्रमांक..................

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

द्वारा निर्मित

नगर के मुख्य बाजार में स्थित

गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना एवं तहसील व्यवसायिक काम्पलेक्स

में दुकानों की

निविदा–सह–खुली नीलामी

पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तो

की

विवरण पुस्तिका

नीलामी तिथि :– दिनांक 26.3.2010 एवं दिनांक 29.3.2010

समय– निविदा डालने का समय प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक
नीलामी का समय दोपहर 12.00 बजे से नीलामी समाप्ति तक

नीलामी स्थल– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
1133 दक्षिणी सिविल लाईन्स,मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्मित नगर के मुख्य बाजार में स्थित गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना एवं तहसील व्यवसायिक काम्पलेक्स में दुकानों की निविदा–सह–खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें

1. प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पत्तियॉ अर्जित हैं, भार रहित हैं एवम् विवाद रहित हैं।
2. दुकानों का विवरण, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण **संलग्नक–1** में उल्लिखित है।
3. निविदा–सह–नीलामी में भाग लेने हेतु पात्रता–

   (1) आवेदक भारत का नागरिक हो ।

   (2) आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।

   (3) (अ) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (ब) प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (स) व्यक्तिगत स्वामी।

   (द) रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (य) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)

   (र) एच0यू0एफ0।

   (ल) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।

   (व) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।

   (4) निविदा–सह–नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को नीलामी के समय दिये गये घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।

4. मोहरबन्द निविदायें **"स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ"** संलग्नक–2 में उल्लिखित तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये टैण्डर बाक्स में डाली जायेंगी। मोहरबन्द निविदायें, निर्धारित प्रारूप पर जो कि संलग्नक–2 पर उपलब्ध है, पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि संलग्नक–1 में उल्लिखित है, उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। कृपया आवेदक, नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखित आवेदन पत्र (संलग्नक–3) टैण्डर बॉक्स में न डाले।

5. नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय में सलंग्नक–1 में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर किया जायेगा। नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते है–

(1) जिन्होने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /पे–आर्डर/बैंकर्स चेक्स मूल रूप में स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चेक्स की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

(2) जिन्होनें मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु सीधे नीलामी में भाग लेना चाहते है, नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चेक्स मूल रूप में संलग्न करना होगा।

(3) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अधिकार होगा ।

(4) यदि आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयं पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग ले सकते है, जिसके लिये

आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराईजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी समिति के समक्ष अपना आथोराइजेशन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सोटियम फर्म एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगें।

(6) निविदा–सह–खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी दरें प्रति दुकान मूल्य में दी जायेगी ।

(7) एक बार बोली बोलने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा । इसी प्रकार टेण्डर बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं ली जा सकेंगी।

6. आवेदक जिस दुकान हेतु निविदा, टेण्डर बॉक्स में डालेगा, वह उसी दुकान पर बोली बोलने के लिये अधिकृत होगा। प्रत्येक दुकान के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चेक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर, आवेदन पत्र पृथक–पृथक से प्रस्तुत करने होंगे।

7. नीलामी कराने वाले अधिकारी द्वारा नीलामी समाप्त होने के उपरान्त मोहरबन्द निविदायें खोली जायेंगी एवं अपनी संस्तुति गुण–दोष के आधार पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा/बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताये

निरस्त कर सकते है। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवं इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी ।

8. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का सूचना पत्र/आबंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से 07 दिन में मूल्य की शुद्व 25 प्रतिशत धनराशि (जमा धरोहर राशि का समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आबंटन पत्र/आबंटन–कम–किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगी–

(अ) दुकान की बकाया 75 प्रतिशत धनराशि 01 वर्ष की 04 समान त्रैमासिक किश्तों में 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित देय होगी।

(ब) पहली किश्त आवंटन/स्वीकृति पत्र जारी होने के 03 माह के अन्दर देय होगी, जिसका आवंटन–कम–किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 18 प्रतिशत दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

(स) आवंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर देय धनराशि की शत–प्रतिशत अदायगी करने पर 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

9. निविदा/नीलामी मे आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक/पे–आर्डर मे से प्राधिकरण के लेखा अनुभाग द्वारा केवल उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक/ पे–आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।

10. उच्चतम निविदा अथवा बोली का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने के उपरान्त 07 दिन की अवधि मे जमा की जाने वाली उक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर स्वतः

निरस्त समझा जायेगा तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि एक माह के अन्दर उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता सम्पत्ति बहाल करने हेतु उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि के साथ आवेदन करता है, तो सम्पत्ति नीलामी मूल्य के 1/2 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत) के समतुल्य धनराशि बहाली शुल्क के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी, तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

11. दुकान का आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त लगातार दो किश्तें जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि यदि शेष हो, तो वापिस कर दी जायेगी तथा दुकान के निरस्तीकरण की सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता निरस्त शुदा दुकान को उक्तानुसार बहाली शुल्क के साथ बहाल नहीं कराता है, तो उसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. आवंटी से दुकान के मूल्य का शत प्रतिशत धनराशि एवं 10 प्रतिशत लीज रेन्ट की धनराशि तथा दस्तावेज शुल्क आदि रूपये 500/– का भुगतान प्राप्त हो जाने एवं प्रचलित स्टाम्प डयूटी पर पट्टा विलेख का निबन्धन करने के पश्चात कब्जा दिया जायेगा।

13. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अंतिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित दुकान के न्यूनतम मूल्य में कार्नर चार्ज, पार्क फेसिंग एवं सडक चार्जेज (यथा लागू) सम्मिलित नहीं है। आवंटित दुकान कार्नर, पार्क फेसिंग व 18 मीटर एवम इससे अधिक चौडे रोड पर स्थित होने पर भूमि के मूल्य का नियमानुसार अतिरिक्त लोकेशन चार्जेज देय होगा।

14. लीज रेन्ट चार्ज (कीमत+लोकेशन चार्ज) का 10 प्रतिशत लिया जायेगा, जो कि रजिस्ट्री के समय देय होगा।

15. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प डयूटी वहन करके 06 माह में परिसम्पत्ति की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

16. परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आंवटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

17. आवंटी परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवं सांझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

18. परिसम्पत्ति का आंवटन ''जहां है जैसा है'' पद्धति पर किया जायेगा।

19. अन्य शर्तें :

(1) उच्चतम बोली/निविदादाता/आंवटी को शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 28ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषको की भूमि दर बढाये जाने की स्थिति में उपरोक्त व्यवसायिक भूखण्ड की भूमि का मूल्य बढता है, तो वह उच्चतम निविदा/नीलामी दाता/आंवटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवं देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम निविदा/ नीलामीदाता /आवंटी से वसूल की जायेगी । अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलामी की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त वाद विवाद मुजफ्फरनगर स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में होगे।

(5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर संलग्नक–1 में उल्लिखित है।

(6) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है, तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर का निर्णय ंअंतिम होगा। उपाध्यक्ष को अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त / नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि उच्चतम बोली /निविदादाता/ आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
मुजफ्फरनगर।

निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की और से घोषणा –

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य हैं।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित
नाम :
पिता का नाम :
पता :

<u>संलग्नक–1</u>

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित नगर के मुख्य बाजार में स्थित गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना एवं तहसील व्यवसायिक काम्पलेक्स में दुकानों की निविदा–सह–खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु सम्पत्तियों का विवरण

नीलामी तिथि :– दिनांक 26.3.2010 एवं दिनांक 29.3.2010

समय– निविदा डालने का समय प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक
नीलामी का समय दोपहर 12.00 बजे से नीलामी समाप्ति तक

नीलामी स्थल– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
1133 दक्षिणी सिविल लाईन्स,मुजफ्फरनगर

सं0	योजना का नाम	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	धरोहर राशि /टोकन मनी	आरक्षित मूल्य रूपये
1	तहसील परिसर व्यावसायिक योजना भाग–1	06 दुकाने (द्वितीय तल)	12.93 से 20.04	आरक्षित मूल्य का 10%	2,38,000/– से 3,68,000/–
2	तहसील परिसर व्यावसायिक योजना भाग–2	41 दुकाने (द्वितीय तल)	11.02 से 15.28	आरक्षित मूल्य का 10%	3,01,000/– से 4,55,000/–
3	गर्बी स्कूल व्यावसायिक योजना	19 दुकाने (प्रथम तल)	6.86 से 10.97	आरक्षित मूल्य का 10%	1,81,000/– से 2,81,000/–

नोट– निविदा–सह–खुली नीलामी हेतु प्रस्तावित उक्त सम्पत्ति में से दिनांक 26.03.10 को प्राप्त जिन उच्चतम निविदा/नीलामी को प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा, उसके उपरान्त अवशेष सम्पत्तियों की निविदा–सह–खुली नीलामी दिनांक 29.03.10 को की जायेगी।

<u>संलग्नक–2</u>

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

<u>निविदा पद्वति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र</u>

निविदा तिथिः–संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

निविदायें डालने का समयः– पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

योजना का नामः– गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना/तहसील परिसर व्यवसायिक काम्पलेक्स भाग–1/भाग–2,मुजफ्फरनगर।

(निविदा डालने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ)दुकानसं0..(ब)तल–..

(स) क्षेत्रफल.........................वर्ग मीटर (द) सम्पत्ति का उपयोग.......................................

2. निविदादाता का नाम(हिन्दी में)..

(अग्रेजी में)...

3. निविदादाता के पिता/पति का नाम श्री...

4.निविदादाता की आयु..............................वर्ष,लिंग.........................वैवाहिक स्तर....................

5. पता...

....

.फोन सं0(निवास).. (कार्यालय).................. .व मोबाईल सं0............................

6. यदि आवेदक एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो निविदादाता सहित उनके नाम, पतों का पूरा विवरण–

नोटः स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

क्र0सं0	नाम	पता	व्यवसाय

7. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी,साझेदारी,रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें...

....

(क) नाम..

पत्र व्यवहार का पताः–..

फोन सं0(निवास)....................................(कार्यालय)..........................व मोबाईल सं0...

स्थायी पता...

...................फोन सं0 (निवास)...................(कार्यालय).........................व मोबाईल सं0...............

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)..

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है..

(ग)प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतेंः–..

....

व्यवसायः–..

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

8. निविदादाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम...

....

9 धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................

जमा धनराशि अंकन रूपये..........................जारीकर्ता बैंक का नाम..

10. निविदादाता द्वारा आवेदित दुकान के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये...प्रति दुकान।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम–शर्तो का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया गया है। सभी शर्ते निविदादाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि....................   निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>संलग्नक–3</u>

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

<u>नीलामी (बोली) पद्वति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र</u>

(नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

निविदा तिथिः–संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

निविदायें डालने का समयः– मध्याह्न 12 बजे से नीलामी समाप्ति तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

योजना का नामः – गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना/तहसील परिसर व्यवसायिक काम्पलेक्स भाग–1/भाग–2,मुजफ्फरनगर।

1. नीलामी किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ)दुकानसं0...(ब)तल–...

(स) क्षेत्रफल..........................वर्ग मीटर (द) सम्पत्ति का उपयोग...

2. बोलीदाता का नाम(हिन्दी में)..

(अग्रेजी में)...

3. बोलीदाता के पिता/पति का नाम श्री...

4. बोलीदाता की आयु...............................वर्ष,लिंग..........................वैवाहिक स्तर.......................

5. पता...

....

फोन सं0(निवास)................................(कार्यालय).......................व मोबाईल सं0.......................................

6. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो बोलीदाता सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण –

नोटः स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

क0सं0	नाम	पता	व्यवसाय

7. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी,साझेदारी,रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम्

अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें...

....

(क)नाम...

पत्र व्यवहार का पताः–...

फोन सं0(निवास)...................................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0..................

स्थायी पता..

..................फोन सं0(निवास)..................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0...............

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष(जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)..

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है..

(ग)प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतेंः–...

....

व्यवसायः–..

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

8. बोलीदाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम..

9. धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................

जमा धनराशि अंकन रूपये..........................जारीकर्ता बैंक का नाम...

10. बोलीदाता द्वारा आवेदित दुकान के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये. ....प्रति दुकान।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम–शर्तो का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है, सभी शर्ते बोलीदाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि....................   बोलीदाता के हस्ताक्षर